वर्ष 1992 से वर्ष 2010 के मध्य निर्गत महत्वपूर्ण अधिसूचनाऐं/ शासनादेशों एवं परिपत्रों का का संकलन

—एक—

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग

संख्याः एस0आर0—6533/11—92—500(12)/1989

लखनऊः दिनांक नवम्बर 27, 1992

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या—2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 01 दिसम्बर 1992 से 20,000/— रूपया बीस हजार (से अनधिक धन राशि का ऋण या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये नियोजित प्रत्येक लिखत पर) जिसके अन्तर्गत कोई बन्धक, प्रमाण दृष्टिबन्धन (हाइपोथिकेशन) या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित दस्तावेज भी है। जहॉ ऐसा लिखत नीचे विनिर्दिष्ट कार्यो के प्रयोजन के लिये वस्तुओं के निर्माण के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित किया जाय, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देते हैः—

(1) वस्त्र (एक) होजरी, सिलेसिलाये वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सजावटी वस्त्र, फर्नीचर का कवर, मोटा पट्टा (लेस), पल्ला (लाट), हैण्डलूम वस्त्र, लोक वस्त्र, खादी वस्त्र, जनता वस्त्र, बेडिंग (दो) बुनाई, जरी का काम, कशीदाकारी, सिलाई,

(2) कृत्रिम मूॅगा और मोती,

(3) बेंत और बांस का काम— टोकरी, मोढ़ा, आर्ट प्लेट, कुर्सिया, मेज अल्मारी डेस्क छड़ी (स्टिक),

(4) काली (ऊनी, सूती, सिन्थेटिक, रेशम कम्बल),

(5) मिट्टी की वस्तुए जिसके अन्तर्गत चीनी मिट्टी के बर्तन, सजावटी बर्तन, प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तियॉ और खिलौने, ब्लैक पाटरी मिट्टी के गमले, मिट्टी के बर्तन,

(6) शंख और सीपी की वस्तुऐं,

(7) फ्लेक्स और फाइवर की वस्तुयें (जैसे बैग, ट्रे, चटाई आदि),

(8) हस्तमुद्रण, केलिको मुद्रण और टेस्टाइल की परम्परागत रंगाई,

(9) पत्थर के काम (एक) शिला भान्ड , पत्थर के गमले, पत्थर की वस्तुयें।

(दो) मूर्ति कला,

(10) संगमरमर और सिलखड़ी का कार्य,

(11) कागज की वस्तुयें, लिफाफा, थैली, (बैग), प्लेट, प्याला (कप) कुट्टी (पेपिये माशे) टिशु पेपर, मोमी कागज, हस्त निर्मित कागज कार्बन पेपर,

(12) लकड़ी का कामः (एक) खिलौने, सजावटी, वस्तुए, स्लेट, फ्रेम

(दो) लकड़ी की नक्काशी, और मीनाकारी,

(13) फर्नीचर का काम जिसके अन्तर्गत उसकी मरम्मत भी है,

(14) धातु के सामानः कांस्य, घण्टा, धातु, (बेल मेटल) जस्ता, तांबा, स्टील, लोहा पीतल, टिन और सीसा (लेड), मिश्र धातु की वस्तुये (जिसके अन्तर्गत बर्तन भी हैं),

(15) झाड़ू, दोना पत्तल, साबुन, बीड़ी, चूड़ी,

(16) मधु एवं मधु उत्पाद, मधु शोधन,

(17) भडभूजा कार्य,

(18) चमड़े का कार्य और उसकी वस्तुये :—

(एक) जूते, स्लीपर, बैग, पर्स घड़ी के फीते, साइकिल की गद्दी, कैन्वेस बैग, बिस्तरबन्द, अटैची, सूटकेस, साइकिल आदि के लिये शीट कवर,

(दो) चमड़े की रंगाई आदि,

(19) मुद्रण, जिल्दसाजी, कटिंग,

(20) लेखन सामग्री, स्याही, बालपेन की रिफिल, गत्ता, (कार्ड बोर्ड) और उसकी वस्तुयें,

(21) सीमेन्ट की वस्तुयेः— जाली, टाइलें, गमले (पाट्स) ब्लाक्स, नाद (रेक),

(22) मोमबत्तियॉ, नैपथलीन की गोलियॉ, जूने की पालिश, दंत मंजन, (टूथ पाउडर) अगरबत्ती, पोलीथिन के थैले, हाथ की बनी दियासलाई, आतिशबाजी तेल,

(23) खाद्य तेल,

(24) सामान्य इन्जीनियरिगः— मेटल शीट के कार्य, ताले का कार्य, कृषि कार्यो से सम्बन्धित मशीनों और उपकरणों को जोडने (एसेम्बली) का कार्य, रिक्शा गाड़ी और उसकी मरम्मत, टेलीविजन

की ऐन्टीना, चांदी का वर्क बनाना, गैस बेल्डिंग, मोटर बाइन्डिंग, फोटो फ्रेमिंग इलेक्ट्रीकल इल्यूमिनेशन,

(25) मरम्मतः– डीजल इंजन, पम्पसेट, आटोवेहिकल्स, ट्रैक्टर, टेलीविजन, रेडियो, साइकिल, घड़ी, और बिजली का सामान,

(26) कृषि उपकरण, देशी–हल, फाल, बेल्चा, फावड़ा, कुल्हाड़ी,

(27) फलों, शाक–सब्जी, और अनाजों का प्रसंस्करण, उनका परिरक्षण और पैकिंग.

(28) वन उत्पादन से कत्था और गोंद का तैयार किया जाना.

(29) अनाजों और धान की धुलाई (हाथ से शक्ति चालक से)

(30) ताड़ उत्पाद, जैगरी, खण्डसारी, फलों का रस,

(31) मसाला उद्योग (हाथ से तथा शक्ति चालित)

(32). अचार, चटनी, मुरब्बा, शीरा, फ्रूट जेली, केचप, पापड़, सिंवई, मिठाई, नमकीन,

(33) रेशम का उत्पाद, सूती उत्पाद, जटा उत्पाद और चूना उत्पाद,

(34) सभी प्रकार की बुनाई (हाथ से तथा शक्ति चालित),

परन्तु स्टाम्प शुल्क में छूट व्यक्ति को केवल एक बार और परिवार के केवल एक सदस्य को उपलब्ध होगी।

<u>स्पष्टीकरण–एक</u> इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये परिवार में वह व्यक्ति उसका या उसकी पति–पत्नी और उसका या उसके अवयस्क बालक है।

<u>स्पष्टीकरण–दो</u>

इस अधिसूचना में पद ''बैक'' का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

(एक) बैंककारी विनिमय अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी,

(दो) भारतीय स्टेट बैंक, अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक,

(तीन) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी–बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक.

(चार) बैंककारी, कम्पनी, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्समान कोई नया बैंक,

(पॉच) उत्तर प्रदेश सहकर्मी समिति अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित वित्त पोषित बैंक या केन्द्रीय बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड,

(छः) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो–इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी है, और

(सात) एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन नियमित कम्पनी है।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(एस0ए0टी0 रिजवी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–एस0आर0– 6533 (1)/11–92–500(12)/1989 तददिनांकित

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेषक राजकीय मुद्रणालय, ऐषबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि वे इसे 01 दिसम्बर, 1992 के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 500 प्रतियॉ महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद को तथा 100 प्रतियॉ शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(पी0के0 मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्याः एस0आर0–6533 (2)/11–92–500(12)/1989 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शशासन।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, शशासन।
3. सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शशासन।
4. सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शशासन।
5. महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट
(पी0के0 मिश्र)
विशेष सचिव।